

फर्द अहकाम

लेजपाल

बनाम

V/S दूधकारे २६

उपखण्ड अधिकारी

विराटनगर (जयपुर)

प्राचिनपत्र

२२/१०/१७

आज्ञा या
पर्यवाही

आज्ञा विस्तृत रूप से

विशेष विवरण

२१-१० वकूलप उप समया मध्ये
आदेश गरी लिखाया जा सका वाहे
मज्जीद वहात दिनांक १२-१० के प्रेषण
तक तक पूर्ण आदेश प्रमाणी रहेगा।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

०४-१० वकूलप उप निर्माण प्रारम्भ
पुष्क से लिखाया जाकर शक्ति
मिसल कर सुनाया गया। प्रारम्भ
दस्तावेजात के सम्भव से
खारिज किया जाता है। फासली
में सल सुमा होकर दारिदल
दफ्तर है। निर्माण पुर्ण
व्यायालय में सुनाया गया।

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)